उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग

का

नागरिक चार्टर

प्रदेश के समग्र विकास की ओर सतत् प्रयासरत

निर्माण भवन

96, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पी.बी.एक्स.दूरभाष नं.

0522-2223169, 2220536, 2220537, 2237323, 2237324

फैक्स : 0522-2213202, 2227868

सूचना के अधिकार एक्ट–2005 के अन्तर्गत संशोधित

नागरिक चार्टर

लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश
जनपद लखनऊ

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

नागरिक चार्टर

1. **उद्देश्यः–** प्रदेश में सड़कों, सेतुओं, रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं/बाईपास एवं रिंग रोड के नव निर्माण, पुनः निर्माण, उनके सुधार तथा रख–रखाव व अनुरक्षण तथा गांवों को पक्के मार्गो से जोड़ने जैसी महती दायित्वों का निर्वहन लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्गो का रखरखाव, विभाग की सड़कों पर अतिक्रमण को रोकना तथा निर्माण कार्यो में गुणवत्ता व समयबद्वता सुनिश्चित कराने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

2. **कार्यक्षेत्रः–** विभाग में निम्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्गो के निर्माण कराये जाते हैं।

(1) **नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना :–** ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेतु निर्माण हेतु यह योजना वर्ष 1996–97 में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 1996–97 से 2001–02 तक आर.आई.डी.एफ.–2 से 7 योजनान्तर्गत मार्ग/सेतु के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। आर.आई.डी.एफ.–8 व 9 योजनान्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नही है। वर्ष 2005–06 में आर.आई.डी.एफ. 10 व 11 योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत किये गये है। आर.आई.डी.एफ. 2 से 7 योजनान्तर्गत कार्य की लागत का 90% एवं आर.आई.डी.एफ. 10 व 11 योजनान्तर्गत कार्य की लागत का 80% धनराशि नाबार्ड द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है तथा शेष धनराशि प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों से वहन की जा रही है। वर्तमान में 1 कि.मी. एवम् इससे अधिक लम्बाई के ग्रामीण मार्गो को सिंगल कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य प्रस्तावित किये जा रहे है।

(2) **राज्य सेक्टर सामान्यः–** प्रदेश में स्थित राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा सेतुओं का निर्माएण का कार्य इस योजनान्तर्गत कराया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों/ महत्वपूर्ण व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत मांग पर विभागीय संस्तुति आख्या के आधार पर प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों के अधीन इस योजना के अन्तर्गत कार्य शासन द्वारा स्वीकृत कर कार्य कराये जाते हैं।

(3) **जिला योजना सामान्य :–** इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाते है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों/महत्वपूर्ण व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत मांग पर विभागीय संस्तुति आख्या के आधार पर प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों के अधीन इस योजना के अन्तर्गत कार्य शासन द्वारा स्वीकृत कर कार्य कराये जाते हैं।

(4) **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कार्यः–** इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों/महत्वपूर्ण व्यवक्तियों/संस्थाओं द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत मांग पर विभागीय संस्तुति आख्या के आधार पर प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों

के अधीन इस योजना के अन्तर्गत कार्य शासन द्वारा स्वीकृत कर कार्य कराये जाते है।

(5) **राज्य सड़क निधिः**– प्रदेश के राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग/ग्रामीण मार्गो का पुनः निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण/सुधार कार्य इस योजनान्तर्गत कराया जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों/महत्वपूर्ण व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत मांग पर विभागीय संस्तुति आख्या के आधार पर प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों के अधीन इस योजना के अन्तर्गत कार्य शासन द्वारा स्वीकृत कर कार्य कराये जाते हैं।

(6) **स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लानः**– प्रदेश में अनुसूचित जाति/जन–जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु इस योजनान्तर्गत कार्य कराये जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत माँग पर विभागीय संस्तुति आख्या के आधार पर प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों के अधीन इस योजना के अन्तर्गत कार्य शासन द्वारा स्वीकृत कर कार्य कराये जाते है।

(7) **निधियाँः**– इस योजनान्तर्गत मध्यांचल, बुन्देलखण्ड एवम् पूर्वाचंल के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/सेतुओं के निर्माण तथा अन्य विभागों जैसे सिंचाई विभाग, जल निगम आदि से सम्बन्धित कार्य भी स्वीकृत किये जाते है। त्वरित विकास योजना, समग्र ग्राम विकास योजना आदि विभिन्न योजनाओं का कार्य भी स्वीकृत किया जाता है।

(8) **रेलवे उपरिगामी सेतुः**– प्रदेश में अधिक यातायात वाले महत्वपूर्ण मार्गो पर पड़ने वाले रेलवे सम्पारों के स्थान पर रेलवे सुरक्षा निधि के अधीन रेलवे उपरिगामी सेतुओं का निर्माण इस योजना में किया जाता है। स्थानीय माँग के आधार पर प्रस्तावित कार्य की लागत का आधा भाग रेलवे तथा शेष आधा भाग प्रदेश के वित्तीय संसाधनों से वहन कर इस योजना से कार्य कराये जाते हैं।

(9) **केन्द्रीय मार्ग निधिः**– प्रदेश की राज्य मार्गो प्रमुख जिला मार्गो के सुधार (चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण) इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। स्थानीय मार्ग के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर से प्रमुख अभियन्ता के माध्यम से शासन में प्राप्त प्रस्तावों को संकलित रूप से भारत सरकार को भेजकर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते है तथा शत–प्रतिशत् वित्तीय पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(10) **वाह्य सहायतित परियोजनायेंः**– प्रदेश की अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़कों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं वृहत् रख–रखाव का कार्य विश्व बैंक की सहायता से एस0आर0पी0–2 योजना के अन्तर्गत कराया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 80 प्रतिशत धनराशि विश्वबैंक द्वारा तथा 20 प्रतिशत धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(11) **विशेष मरम्मत योजनाः**– विभिन्न कारणों से मार्गो के क्षतिग्रस्त हुए भागों का विशेष मरम्मत मद तथा दैवीय आपदा राहत कोष से किया जाता है। वर्ष 1999–2000 में मार्गो के अनुरक्षण हेतु राज्य सड़क निधि की स्थापना की गई जिसके लिए वित्तीय संसाधनों का सृजन पेट्रोल एवं डीजल पर अतिरिक्त व्यापार कर लगा कर किया गया है। इस योजना हेतु आवंटित एकमुश्त धनराशि का व्यय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से विचार–विमर्श कर सुनिश्चित किया जाता है।

(12) **सामान्य अनुरक्षण एवं रखरखाव मदः–** भारत सरकार द्वारा 12 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में सामान्य अनुरक्षण एवं रखरखाव मद के अन्तर्गत 650 करोड़ प्रस्तावित हैं। मार्गो के सामान्य अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य सामान्य अनुरक्षण एवं रखरखाव मद से किया जाता हैं।

(13) **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः–** इस योजना के अन्तर्गत 1000 तक की आबादी वाले ग्राम को संतृप्त करने की योजना हैं। जिसमें मार्गो को एक विशिष्ट चौड़ाई एवं विशिष्टियों के अनुरुप बनाया जाना हैं। इस योजना के कार्यो की मानटिरिंग स्टेट लेवल एवं नेशनल लेवल मानीटर के द्वारा किया जाता हैं।

(14) **भवन सम्बन्धी कार्यः–** प्रत्येक जनपद में वी0आई0पी0 कालोनी का रखरखाव सर्किट हाउस, तथा पूल्ड आवासों का रखरखाव भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

(15) **<u>अन्य</u>ः– बार्डर एरिया डेवलपमेण्ट प्रोग्राम, पूर्वांचल विशेष योजना, बुन्देलखण्ड विशेष योजना, अम्बेडकर ग्राम विकास एवं समग्र योजना के अन्तर्गत** मार्गो का निर्माण कराया जा रहा है। यह योजनायें विभिन्न क्षेत्रों में तात्कालिक समस्याओं के निदान के विकल्प के रूप में पोषित है। इन योजनाओं में निर्माण कार्य का चयन जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर किया जा रहा है।

(16) **<u>कार्यो की गुणवत्ता एवं शिकायतों का निराकरण</u>ः–** कार्यो की गुणवत्ता पर विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अधिकारियों के टोली के माध्यम से जांच कराई जाती है। विभाग में इस हेतु टेक्निकल आडिट सेल गठित है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जांच इस सेल से कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

3. **<u>समस्याओं एवं शिकायतों अथवा अन्य किसी जानकारी हेतु निम्नांकित से सम्पर्क किये जा सकते हैं</u>**

(1) **<u>शासन स्तर पर</u> :–**

पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष संख्या
माननीय मंत्री, लो0नि0वि0	कक्ष सं0 – 102, मुख्य भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।	0522 - 2238088 (O) 0522 - 2235190 (R)
प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 प्रमुख सचिव (गृह)	कक्ष सं0 – 208, विकास भवन (जनपथ) उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।	0522 - 2621154 0522 - 2200399 0522 - 2238291 0522 - 2239279
सचिव, लो0नि0वि0	कक्ष सं0 – 218, विकास भवन (जनपथ) उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।	0522 - 2622653 (O) 0522 - 2769826 (R)
सचिव, लो0नि0वि0	विकास भवन (जनपथ) उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।	0522 - 2230633 (O)

(2) **<u>मुख्यालय स्तर पर</u> :–**

पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष संख्या
1. प्रमुख अभियन्ता (विकास), लो0नि0वि0 2. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0 3. प्रमुख अभियन्ता (परि./नियो.), लो0नि0वि0	निर्माण भवन, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।	0522 – 2237323, 25 0522 – 2627288 (O) 0522 – 2236879 (R) 0522 – 2627437 (O) 0522 – 2483797 (R) 0522 – 2235706 (O) 0522 – 2235624 (R)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद), लो0नि0वि0	निर्माण भवन, महात्मा गांधी	0522 – 2238547

	मार्ग, लखनऊ।	
सीनियर स्टाफ आफीसर (परिवाद), लो0नि0वि0	निर्माण भवन, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।	0522 - 2237612 (Ext. – 428)

4. आवश्यक <u>सेवायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी</u> :–

कठिनाई	सम्बन्धित अधिकारी	सम्भावित अवधि
दूरभाष, विद्युत पानी के कनेक्शन हेतु सड़क काटना अपरिहार्य हो तो निर्धारित राशि जमा करके अनुमति दिये जाने हेतु।	अधिशासी अभियन्ता	एक माह
पर्यावरण की सुरक्षा हेतु मार्ग के किनारे वृक्ष लगाने की अनुमति दिये जाने हेतु।	सहायक अभियन्ता अथवा वन विभाग	एक माह
मार्ग के किनारे स्थाई/अस्थाई निर्माण की अनुमति के लिए अनापत्ति दिये जाने हेतु।	अधिशासी अभियन्ता	एक माह
निर्माण स्थल पर विशिष्टियों लागत प्रदर्शित किये जाने हेतु साइन बोर्ड आदि लगाना।	जिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता	एक माह
निर्माण कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत हेतु।	जिसकी शिकायत हो उसके एक स्तर ऊपर का अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता	एक माह

नोटः– सम्भावित अवधि थर्ड पार्टी/अन्य विभाग होने की स्थिति में 40 दिन तक बढ़ायी जा सकती है।

कठिनाई	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष संख्या
निर्माण कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निस्तारण न हो पाने की दशा में शिकायत हेतु।	प्रमुख अभियन्ता	PBX No. 0522 – 2237323, 25
निर्माण सामग्री का परीक्षण अथवा तकनीकी जांच हेतु।	लखनऊ स्थित अन्वेषणालय अथवा टी0ए0सी0	0522 - 2235370 0522 - 2787095
ग्राम को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए मार्ग निर्माण हेतु।	मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, संबंधित अधिशासी अभियन्ता	C.E. (Agra Zone) – 0562 – 2227250 C.E. (Lko Zone) – 0522 – 2235214 C.E. (Varanasi Zone) – 0542 – 2502838 C.E. (Faizabad Zone) – 05278 – 224231 C.E. (Jhansi Zone) – 0517 – 2470441 C.E. (Gorakhpur Zone) – 0551-2334295 C.E. (Bareilly Zone) – 0581 – 2427448 C.E. (Kanpur Zone) – 0512 – 2304404 C.E. (Meerut Zone) – 0121 – 2647922 C.E. (Allahabad Zone) – 0532 – 2440036 C.E. (Moradabad Zone) – 0591-2421183 C.E. (Azamgarh Zone) – 05462 -243903
लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार पर सुझाव दिये जाने हेतु।	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता	PBX No. 0522 – 2237323, 25
जनपदों के कार्यों के अनुश्रवण न किये जाने की स्थिति में।	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता	C.E. (Agra Zone) – 0562 –2227250 C.E. (Lko Zone) – 0522 – 2235214 C.E. (Varanasi Zone) – 0542 – 2502838 C.E. (Faizabad Zone) – 05278 – 224231 C.E. (Jhansi Zone) – 0517 – 2470441 C.E. (Gorakhpur Zone) – 0551-2334295 C.E. (Bareilly Zone) – 0581 – 2427448 C.E. (Kanpur Zone) – 0512 – 2304404

		C.E. (Meerut Zone) – 0121 – 2647922 C.E. (Allahabad Zone) – 0532 – 2440036 C.E. (Moradabad Zone) – 0591-2421183 C.E. (Azamgarh Zone) – 05462 -243903

5. <u>नागरिकों से अपेक्षाऐं तथा चार्टर पर सुझाव हेतु सम्पर्क सूत्र</u> :-

मार्ग पर अतिक्रमण न करें। यदि कोई अतिक्रमण होता हो तो इसकी सूचना सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ जनपद को दूरभाष संख्या 2222801, 2224853 पर दी जाये।

- मकानों की नीव की ऊँचाई इस प्रकार रखी जाये कि घरों एवं दुकानों का पानी सड़क पर न बहे।
- मार्गों पर कूडा करकट आदि न डालें। मार्गों को साफ रखें।
- नागरिक एवं अन्य कोई विभाग बिना लो0नि0वि0 की अनुमति के मार्ग को न काटें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से सड़क काटी जाये, तो इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित अधिशासी अभियंता को दी जाये।
- सरकारी भवनो को साफ सुथरा एवं सुरक्षित रखने में सहयोग करें।
- यदि किसी पुल में कोई क्षति हो तो उसकी सूचना तुरन्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को दें।
- पुल/फेरी पर पथकर का भुगतान अवश्य करें।
- पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पौधे लगायें। मार्गों के किनारे लगे पेड़ों को काटने तथा नुकसान होने से बचायें।

6. <u>''सूचना के अधिकार'' हेतु व्यवहार संहिता</u> :-

लोक निर्माण विभाग द्वारा ''सूचना के अधिकार'' हेतु व्यवहार संहिता को सहर्ष अंगीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को विभाग के कार्यकलापों व योजनाओं इत्यादि के सम्बन्ध में सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इससे जनता को सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी सम्भव होगी तथा विकास कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाने में जनता के सुझावों एवं सहयोग की भागीदारी सुनिश्चित होगी। सूचना प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, जन सूचना अधिकारी तथा उनके अधीन सहायक अभियन्ता (मुख्यालय) सहायक जन सूचना अधिकारी का कार्य देखेगें। मुख्यालय स्तर पर इस कार्य हेतु 96, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ स्थित प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में जन सूचना वितरण केन्द्र की स्थापना की गई है।

उक्त सूचना नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने विषयक सुविधाओं के रूप में विभाग में एक जन सूचना वितरण कक्ष स्थापित है, जो प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक कार्य के लिये उपलब्ध है। सूचना उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों के नामों की सूचना मुख्यालय तथा जनपदों में लो0नि0वि0 कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगी।

7. <u>जन सूचना वितरण केन्द्र का विवरण</u> :-

प्राधिकृत अधिकारी	पता	दूरभाष
जन सूचना अधिकारी श्री ओ0पी0 शर्मा अधिशासी अभियन्ता	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय भवन का कक्ष संख्या–204 महात्मा	0522 -2238740

(भवन) स्तर–1	गॉधी मार्ग, लखनऊ	
सहायक जन सूचना अधिकारी,	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय कक्ष संख्या–204, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ	PBX No. 0522 – 2237323, 25 विस्तार–225
शासन स्तर पर जन सूचना अधिकारी	विकास भवन, जनपथ, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ	0522 – 2621202
अपील अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड (प्रत्येक जनपद) तथा क्षेत्रीय अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, प्रान्तीय खण्ड (प्रत्येक जनपद)	-

सूचना चाहने वाले व्यक्ति को जन सूचना वितरण केन्द्र से नि:शुल्क उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क, जो सूचना केन्द्र में प्रदर्शित रहेंगे, नकद जमा करने पर ही वांछित सूचना उपलब्ध करायी जायगी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से कोई शुल्क नही लिया जायेगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो अधीक्षण अभियन्ता, 10वां वृत्त (भवन) से सम्पर्क किया जा सकता है।

8. एक्ट के सेक्शन 8 एवं 9 की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विषयों की सूचना, सूचना दिये जाने वाले अधिकार से मुक्त है। कतिपय श्रेणी की सूचनायें, जो सूचना के अधिकार के दिशा–निर्देश के सलंग्नक–1 में वर्णित है और सूचना दिये जाने के अधिकार के अन्तर्गत अवमुक्त नही है वे, सुसंगत प्रकरण घटित होने के 20 वर्ष के बाद युक्तायुक्त कारणों के आधार पर अवमुक्त हो सकती है।

9. विभागीय अपीलेन्ट अधिकारी के ऊपर अगला अपीलेन्ट अधिकारी सूचना आयुक्त होगा।

10. जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त न होने की दशा में प्रथम/द्वितीय अपीलेन्ट अधिकारी के यहॉ तीस दिन के अन्दर (जो कि 45 दिन तक बढ़ायी जा सकती है) अपील की जा सकती है।

11. उपरोक्त नागरिक चार्टर की समीक्षा प्रतिवर्ष की जायेगी एवं तत्समय प्रभावी कार्यकलापों के अधीन संशोधन किये जायेगें।

12. सूचना के अधिकार एक्ट–2005 के प्राविधान ओवरराइडिंग प्रकृति के है अर्थात पूर्व के प्राविधान या किसी अन्य एक्ट में इस एक्ट के विपरीत बात होते हुये भी सूचना के एक्ट 2005 एक्ट के प्राविधान सुसगत प्रकरण में लागू माने जायेगें।